मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : mdmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

तृतीय स्मरण
तत्काल/अत्यावश्यक

क्रमांक/बी–5/2/एगमार्कनेट/2020–21/186 भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2021

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर (म0प्र0)

विषयः–भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर प्रदेश की चयनित मण्डी समितियों की दिनांक 04/04/2011 से दिनांक 30/06/2021 तक की अवधि की **जिन्स–गेहूं** की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–5/2/एगमार्कनेट/2020–21/170, दिनांक 24/08/2021 एवं पत्र क्रमांक/बी–5/2/एगमार्कनेट/2020–21/178, दिनांक 14/09/2021

–0–

उल्लेखित विषय में श्री बी0के0प्रुष्टि, उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार, फरिदाबाद के ई–मेल दिनांक 09/08/2021 यथा भारत सरकार की संलग्न एक्सेल शीट की साफ्टकापी में आपके अंचल की चयनित 11 मण्डी समितियों विदिशा/छिंदवाड़ा/देवास/गंजबासोदा/गौतमपुरा/गुना/जावरा/कालापीपल/नरसिंहगढ़/नीमच/–उज्जैन की दिनांक 04/04/2011 से दिनांक 30/06/2021 तक की अवधि की यथा उल्लेखित **जिन्स गेहूं** की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी का मण्डी के मूल रिकार्ड से सत्यापन करने एवं इसी अवधि की प्रविष्टी से छूटी हुई जानकारी को एक्सेल शीट में दर्ज करने के एवं संबंधित मण्डी सचिव से इसके सत्यापन उपरांत यह जानकारी 03 दिवस की समय सीमा में मण्डी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश संदर्भित पत्रों से दिये हैं।

विषय संदर्भ में किसी भी संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय के द्वारा अपने अंचल की उपरोक्त मण्डी समितियों की वांछित जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण भारत सरकार को जानकारी प्रेषित करना संभव नहीं हो पा रहा है। यद्वपि आपके अंचल की कुछ मण्डी समितियों के द्वारा उपरोक्त जानकारी सीधे भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई थी जिसके प्रतिउत्तर में भारत सरकार ने यह अवगत कराया है कि उनमें से कुंछ मण्डी समितियों की जानकारियॉ अपूर्ण है, कुछ तिथियॉ की जानकारी मिसिंग है साथ ही इस कार्य में विलम्ब हो चूका है। यह स्थिति भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप अत्यंत आपत्तिजनक है।

अतः आपको अंतिम रुप से निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार की संलग्न एक्सेल शीट की साफ्टकापी में यथा उल्लेखित **जिन्स–गेहूं** की जानकारी का अवलोकन कर प्रविष्टि से छूटी हुई दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी को दर्ज करायें, अपूर्ण जानकारी को पूर्ण करायें यदि जानकारी निरंक अथवा अवकाश है तो कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाये, मण्डी बोर्ड को जानकारी प्रेषित करने के पूर्व संबंधित मण्डी सचिव से सत्यापन कराने के उपरांत यह जानकारी 03 दिवस की समय सीमा में हार्ड एवं साफ्टकापी में अनिवार्य रुप से मण्डी बोर्ड मुख्यालय को

उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन मण्डी सचिवों के द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती जा रही है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को भेजा जाये। इस कार्य को प्रथम प्राथमिकता देवें।

प्रबंध संचालक द्वारा आदेशित।

30/09/21

(सुनील सक्सैना)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/एगमार्कनेट/2020–21/187 भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2021

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) श्री बी.के.प्रुष्टि, उप कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, एन0एच0 -IV फरिदाबाद।

(02) श्री मुशर्रफ सुल्तान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक सह एगमार्कनेट योजना समन्वयक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(03) श्री अक्षय याकूब, उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार, स्थानीय कार्यालय आर. 24, जोन–1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल।

(04) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा/छिंदवाड़ा/देवास/गंजबासोदा/गौतमपुरा/गुना/जावरा/कालापीपल/नरसिंहगढ़/ नीमच/उज्जैन (म0प्र0) :–उपरोक्तानुसार निर्देशों का अवलोकन कर **जिन्स–गेहूं** की वांछित जानकारी मय सत्यापन के उपरांत हार्ड एवं साफ्टकापी में निर्धारित समय सीमा 03 दिवस में अनिवार्य रुप से अपने आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मण्डी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(05) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

30/09/21

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल